उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-1

संख्या-245/2015/1344/38-1-2015- 11 टी0आर0/2015

लखनऊ: दिनांक:06 जुलाई, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

आयुक्त, ग्राम्य विकास के कार्यालय- आदेश संख्या-592-बी/स्था0प्र0/2015, दिनांक 24.06.2015 द्वारा द्वारा श्री आदित्य कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, औरैया को स्थानान्तरित करते हुए जनपद झाँसी में तैनात किया गया था । सम्यक विचारोपरान्त श्री आदित्य कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, औरैया को जनपद हमीरपुर में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है। उक्त कार्यालय- आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2- स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर तत्संबंधी कार्यभार- प्रमाणक शासन एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करा दें। सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उमा कान्त मिश्र

उप सचिव

<u>संख्या-245/2015/1344(1)/38-1-2015 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त/संयुक्त विकास आयुक्त, झांसी/कानपुर/चित्रकूट ।
(4) जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, औरैया/झांसी/हमीरपुर।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, औरैया/झांसी/हमीरपुर।
(6) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा- मुख्य विकास अधिकारी, औरैया।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(उमा कान्त मिश्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in